



15.03.2021

पत्रावलियां अव्यवस्थित तरीके से अलमारियों में बन्द रखी हुई थी। साफ-सफाई करने में पत्रावलियां मिली। पत्रावली अब तक पेश नहीं गई और न ही प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तकाजा किया गया। पूर्व रीडर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस वजह से आर्डर शीट अधूरी रह गई है। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित। कलक्टर महोदय दीगर कार्यों में व्यर्थ है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15.04.2021 को पेश हो।


रीडर

15.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वे इस निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं होने से प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

